कार्यालय : जनपद न्यायालय , ललितपुर ।

सार्वजनिक सूचना

जनपद न्यायालय परिसर , ललितपुर में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये कैन्टीन (चाय,नमकीन , मीठा, चांट एवं फल, जूस व शीतल पेय पदार्थ), फोटोकापियर /फोटोग्राफी एवं साइकिल स्टैण्ड के ठेकों की नीलामी दिनांक 13.04.2015 को शायं 3 बजे सभागार कक्ष , जनपद न्यायालय , ललितपुर में नीलाम समिति ,की देखरेख में की जायेगी । नीलामी हेतु आवश्यक सूचना इस प्रकार है :–

1. नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी । यदि बोली बोलने वाला ब्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के हित में जब्त कर ली जावेगी । जिस ब्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा , उसकी जमां धरोहर धनराशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जावेगी ।
2. केवल उन बोली दाताओं को नीलाम की कार्यवाही में भाग लेने दिया जायेगा ,जिन पर ठेकों के वावत पिछले वित्तीय वर्षो का कोई बकाया शेष न हो ।
3. बोली स्वीकृत होने पर नीलाम की 50 प्रतिशत धनराशि अन्दर सात दिवस जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि तीन समान किश्तों में दिनांक 30.06.2015 , 30.09.2015 एवं 31.12.2015 के पूर्व जमा करनी होगी । उपरोक्तानुसार धनराशि जमां न कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी ।
4. नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश , ललितपुर को होगा ।
5. नीलामी की प्रकिया को माननीय जनपद न्यायाधीश , ललितपुर द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।
6. नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले ब्यक्ति से सम्बन्धित ठेके की वावत अनुबन्ध अंकन 100/–रूपया के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार निष्पादित कराया जायेगा । स्टाम्प नीलामी केता को खरीदकर देना होगा ।
7. प्रत्येक ठेकेदार के लिये न्यायालय भवन के सामने गेट के पास सडक के किनारे खाली भूमि में बिनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा , जिसमें ठेकेदार अपना अपना अस्थायी स्टाल लगाकर निर्धारित कार्य करेंगें । उक्त निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर ठेके का कार्य नहीं किया जायेगा ।
8. जो बोलीदाता अधिकतम बोली के बोलने के पश्चात नीलामी की शर्तो का अनुपालन नहीं करेंगें , उनकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलते समय अपना पहिचान पत्र / आवास प्रमाण पत्र व एक फोटो तथा टेलीफोन /मोबाइल नम्बर भी जमा करना होगा ।
10. ठेका कैन्टीन एवं साइकिल स्टैण्ड का वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये दिया जायेगा । फोटोस्टेट /कम्प्यूटर द्वारा फोटोग्राफी का ठेका दो वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिये दिया जायेगा । फोटोस्टेट /कम्प्यूटर द्वारा फोटोग्राफी ठेकेदार द्वारा 2016–17 में 10 प्रतिशत बढाकर ठेके की राशि जमां करना होगी ।

धरोहर राशि का विवरण :

कम संख्या	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	भूमि का विवरण
01.	कैन्टीन	10,000/–	खाली भूमि 30' / 9 फीट
02	साइकिल स्टैण्ड	2500/–	
03.	फोटोस्टेट / फोटोग्राफी	2000/–	खाली भूमि 10 ' / 9 फीट

दिनांक : 30.03.2015

(अशोक कुमार यादव – I).
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
जनपद न्यायालय , ललितपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु :–

1. नाजिर सदर , कार्या0 जिलाधिकारी ललितपुर ।
2. अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका परिषद , ललितपुर ।
3. सहायक नाजिर , जनपद न्यायालय , ललितपुर ।
4. जिला सूचना अधिकारी , ललितपुर को देनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
5. सिस्टम आफीसर , कम्प्यूटर अनुभाग , जनपद न्यायालय , ललितपुर को जनपद न्यायालय , ललितपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद की वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

Ashok Kumar Yadava-I 30/3/2015
(अशोक कुमार यादव – I).
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
जनपद न्यायालय , ललितपुर ।